कार्यालय विद्युत भवन ज्योति नगर, जयपुर 302005
[कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):U40109RJ2000SGC016485]
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता(टी. एण्ड सी.)
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, सीकर
फतेहपुर रोड, सबलपुरा, सीकर – 332001 दूरभाष न0 01572 – 272002
ईमेलआईडी:xen.tnc.sikar@rvpn.co.in;वेबसाइट:www.rvpn.co.in

क्रमाक/रा.रा.वि.प्र.नि./ अ.अ. (टी.एण्ड सी.) सीकर/संस्थापन/प्रे. 303 दिनांक 21-01-2019

निमितः–

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी, एफ. सी. एफ.
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– Uprating work of 132 KV S/C Line Sanwali Road water work – Ranoli (with dismantling of existing H-Pole) Proposal No. FP/RJ/TRANS/36179/2018

संदर्भः– आपका ई0डी0एस0 –II दिनांक 31.12.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव में आप के ई0डी0एस0 –II के क्रम में चाही गई सूचना निम्नानुसार हैः–

Points of proposal		Essential Details Sought	Compliance
B. 1-	Detail of Land required for forest	1. बिन्दु संख्या 1 की पालना नहीं। यूजर ऐजेन्सी द्वारा ग्रामों के नाम सही अंकित नहीं है। संलग्न जमाबंदी अनुसार वन क्षैत्र से प्रभावित ग्रामों के नाम सीकर एवं देवीपुरा है जबकि पार्ट 1 में कस्बा सीकर एवं बीड़ देवीपुरा अंकित है।	1. ग्रामों का नाम जमाबन्दी अनुसार सीकर एवं देवीपुरा कर दिया गया है।
C. 2-	Maps of forest land proposed to be diverted.	2. बिन्दु संख्या 2.1 की पालना अपूर्ण। यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन क्षैत्र में प्रस्तावित पारेषण लाईन में कुछ संरचनाएँ (अतिक्रमण) पर यूजर ऐजेन्सी की टिप्पणी चाही गई थी जिसके क्रम में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित क्षैत्र का ही प्रत्यावर्तन चाहा गया है ऐसी स्थिति में यूजर ऐजेन्सी द्वारा तकनीकि टिप्पणी अप्राप्त है।	1. तकनीकी रूप से प्रस्तावित लाईन के कॉरिडोर में अतिक्रमण से किसी भी प्रकार की कठिनाई/ बाधा नहीं है तथा ना ही किसी प्रकार की जान माल की हानि होने की संभावना है! अपरेटिंग कार्य होने के पश्चात लाईन का लम्बवत् व समान्तर अन्तराल और सुधरेगा। पारेषण लाईन के कॉरिडोर के संदर्भ में भारत सरकार के पत्र दिनांक 05.05.2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना यूजर ऐजेन्सी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी! वन क्षेत्र के अतिक्रमण सें संबंधित जानकारी उपवन संरक्षक महोदय से ली जानी वांछित है!
D. 3-	Justification for locating the project in forest Land and details of alternatives examined.	3. बिन्दु संख्या 3.2 की पालना के क्रम में प्रस्तावित पारेषण लाईन रतनगढ़ से जयपुर 132 के.वी. होना अंकित किया गया है। जो 1965 में स्थापित की गई है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तावित पारेषण लाईन को अपग्रेड क्यों नहीं किया गया है।	1. पारेषण लाईन की स्थापना 1965 में जयपुर से रतनगढ़ तक की गई थी कालान्तर में मध्य मे विधुत आपूर्ति के लिए कई ग्रिड सब स्टेशनो का निर्माण होने से उक्त लाईन कई भागो में विभक्त हो गई। बहुत से अन्य भागो का अपरेटिंग कार्य पूर्व में किया जा चुका है। तथा शेष बचे भागो का अपरेटिंग कार्य अब किया जाना प्रस्तावित है। जिसमे एक भाग वाटर वर्क्स सीकर से रानोली तक का है।
4-	Additional information Details	बिन्दु संख्या 5.1 की पालना अपूर्ण । एरिया केलकुलेशन में प्रभावित वन भूमि एक ग्राम कस्बा सीकर में होना अंकित किया गया है जबकि ऑनलाईन प्रस्ताव में दो ग्रामों में वन भूमि प्रभावित होना अंकित किया गया है। इस विरोधाभास का स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	1. एरिया केलकुलेशन शीट में भी प्रभावित वन भूमि दो ग्रामो सीकर एवम् देविपुरा में वर्णित कर संलग्न कर दी गई है।

अधिशाषी अभियन्ता (टी. एण्ड सी.)
रा.रा. वि. प्र. नि. लि. सीकर।